संख्या-27/2021-828 /58-2021-8/2020टी0सी0

प्रेषक

रवि शंकर मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 26 मार्च, 2021**

विषयः **मनरेगा कार्यक्रम की सामग्री अंश का भुगतान वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम से किये जाने के संबंध में।**

महोदय

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-डी0एच0-835/पौधशाला-174-बी/बजट-2020-21 दिनांक 16.11.2020 एवं पत्र सं0- डी0एच0-897/पौधशाला-305/बजट -2020-21 दिनांक 25.03.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149 /दस-2020- 231/2020, दिनांक 24.03.2020 में निहित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में लेखाशीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीव 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 112-सार्वजनिक उद्यान 06-फलदार पौधों का रोपण योजनान्तर्गत पौध उत्पादन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 लाख (मजदूरी व्यय-रू0 200.00 लाख, अन्य व्यय-रू0 550.00 लाख व सामग्री व्यय-रू0 250.00 लाख) के सापेक्ष मनरेगा कन्वर्जेंस के तहत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम 2022-23 के निर्धारित लक्ष्य 132.96 लाख में से मनरेगा के तहत कुल 6900393 पौध उत्पादन में होने वाली सामग्री अंश में धनराशि रू0 187.87 लाख (रु0-एक करोड़ सतासी लाख सतासी हजार) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हंै:-

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय सीमा के भीतर किया जायेगा।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय शासन में प्रेषित की गयी योजना के अनुसार ही स्वीकृत धनराशि की सीमा के भीतर किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन, वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(3) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020 -231/2020, दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020 /बी-1-192/ दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11.04.2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/ बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 में दिये गये दिशा- निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जायेगा।

(5) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को अवश्य ही उपलब्ध करायी जाय।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना तत्काल शासन/वित्त विभाग को दिया जाय। विचलन की स्थिति में निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/वित्त नियन्त्रक तथा सम्बन्धित जनपदीय उद्यान अधिकारी उत्तरदायी होंगें।

(8) योजनान्तर्गत भौतिक सत्यापन का उत्तरदायित्व निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा मण्डलीय उपनिदेशक उद्यान का होगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/ बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

संख्याः27/2021-828 (1)/58-2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4 समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
8- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
10- ग्राम्य विकास अनु0-7, उत्तर प्रदेश शासन।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in